कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी।

E-mail ID.- eerwdgogri@gmail.com

पत्रांक 1160(अनु0) का0 प्र0,गोगरी .दिनांक 22-06-2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, गोगरी।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
MMGSY, कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषय :- MMGSY अन्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य उपरान्त अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि MMGSY अन्तर्गत Revised के उपरान्त कार्य समर्पित के बाद कुल मो0–11,19,961=00 (ग्यारह लाख उन्नीस हजार नौ सौ एकसठ) रूपये मात्र का आवंटन FDR मद में उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इस पत्र के साथ विहित प्रपत्र में अधियाचना राशि समर्पित की जा रही है।

सूचनार्थ सादर समर्पित।

अनु0– यथोक्त

विश्वासभाजन

Kumar 22/6/2022

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल,गोगरी।

22/6/22

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए पथों के मोटरेबुल कार्य का अधियाचना

कार्य प्रमंडल का नाम :– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–गोगरी।

SI. No.	Division	Name of Road & Birdge	Length (in k.m)	Damaged Length (in k.m)	Amount (in Lakh)	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Gogari	Parmanent Restoration of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola	3.200	0.160	11.19961	Work Complete
				Total =	**11.19961**	

Akumar 22/6/2020

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल–गोगरी।

Sdo 22/6/22

22/6/22

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR AH 650489

Agreement, 19 SBD/2020-21

S.B.D No. ....19 SBD 2021-2021

This agreement, made the Thirteen day of June........ 20 between Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Gogri (Hereinafter called "the Employer") of the one part, and **Maa Vaishnavi Devlopers ,Add.-Rana medical Hall, Near Budh Murti, Kadamkuan District. Patna, (Bihar)**[Name and Address of Contractor] (Hereinafter called "the Contractor" of the other part).Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute the **Construction. of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola (Tender ID- 85983) MMGSY** (Name and identification number of Contract) (Hereinafter called "the works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees **2,49,38,121=00 (Two Crere Forty Nine Lakh Thirty Eight Thousand One Hundred Twenty One Only) in 0.25% Below**

13.6.20

MAA VAISHNAVI DEVLOPER PARTNER

Contractor Concern

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Gogri

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR क्र० | विक्रय की तिथि | मुद्रांक का मूल्य | क्रेता का नाम और पता | अखिलेश कुमार

Supplementary AGREEMENT of AGREEMENT No- [illegible] /S.B.D. of 2022-23

Name of Work	:-	Permanent Restoration of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola (MMGSY)Under FDR Scheme
Name of Agency	:-	Maa Vaishnavi Devlopers, Add.- Rana Medical Hall, Near Budh Murti, Kadamkuan District- Patna (Bihar)

04 SBD 2022-23

Date of Commencement :- | DD | MM | YYYY |

Time of Completion :- | DD | MM | YYYY |

Estimate Cost. :- Rs- 11,23,394/-

Supplementary Agreement Value:-Rs.- 11,20,586/- 0.25 % Below

Earnest Money :- Rs- 60,000/- (Details Attached)

This Agreement made the Dated 2 / 06 / 2022 between EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION-GOGRI Hereinafter called "the Employer of the first part" and Maa Vaishnavi Devlopers, , Add.- Rana Medical Hall, Near Budh Murti, Kadamkuan District- Patna (Bihar) here in after called "the contractor of the other part", Executive Enginee RWD Works Division Gogri. Whereas the Employer's is desirous that the contractor execute the extra Work" Permanent Restoration of Road From Bari Paikant Santoshi Mata to Paikant Paschimi Tola (MMGSY) Under FDR Scheme, hereinafter called "the Work" and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution of Such works and the remedying of any defects therein, at a Cost. of Rs- 11,20,586/- (Eleven Lakh Twenty Thouseand Five Hundred Eighty Six Only)

Contractor

Executive Engineer
Rural Works Department,
Works Division-Gogri

2/6/22

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

R 864717

अनिलेश कुमार सिन्हा

मुद्रांक विक्रेता

अनुमंडल न्यायालय परिसर गोगरी

ला० नं०– 03/01

Executive Engineer

R.W.D. Works Div.

Gogri

FDR

M.B.No 557
22-23

Shedule XLV Form No. 134.

बड़ी पैकांत संतोषी माता से पैकांत पश्चिमी टोला तक पथ निर्माण कार्य

प्रमंडल, गोगरी DIVISION

अवर प्रमंडल गोगरी SUB-DIVISION

M.B.No-557

Measurement Book

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोगरी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्त में मशीन द्वारा अंकित कुल -100 (एक सौ) पन्ने हैं जिसे सुश्री श्वेता कुमारी सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, गोगरी को निर्गत किया जाता है।

Murari 17/5/2022
Executive Engineer
R.W.D. Works Div.
Gogri

Beskey 17-5-22

Sch. XLV - Form No. 134

प्रमंडल, गोगरी DIVISION

अवर प्रमंडल, गोगरी SUB-DIVISION

Measurement Book

557 No.

Name of Officer ______________________

____

Name of Work–
Situation of Work–
Agency by which work is executed–
Date of Measurement–
No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work – Permanent Restoration work of Bari Paikant Santoshi mata to Paikant barchimi tola under FDR scheme					
Name of Agency – Maa Vaishnavi Devalopa Depd					
S. Agreement No:- 04 SBD/2022-23					
Record measurement					
Date – 17.05.2022					
1. Const. of embankment with material obtained from borrowpits etc –					
do-do. all Comp. job –					
Chainage	Distance	Area in m²	Mean Area	Fill volume	
0.250	0	3.941			
0.280	30	1.816	2.879	86.355	
0.350	70	4.671	0.000	0.000	
0.360	10	4.779	4.725	47.250	
0.410	50	0.791	0.000	0.000	
0.450	40	0.844	0.818	32.700	
0.500	50	0.958	0.901	45.050	

Continuation

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
ABSTRACT OF COST					
Date - 28.05.2022					
1:- Const. of embankment with material obtained from borrow pits etc-- do-do. all comp. job —					
qty. vide T.m.B.P. (3)					
	267.75 m³				
@ Rs. 150=38/m³ ← Rs.					40,264=-
2:- Const. of subgrade & earthen shoulder etc-- do-do. all comp. job —					
qty. vide T.m.B.P. (3)					
	1517.25 m³				
@ Rs. 176=58/m³ ← Rs.					2,67,916=-
3:- Const. of granular sub-base by providing well graded material etc-do-do. all comp. job —					
qty. vide T.m.B.P. (4)					
	272.30 m³				
@ Rs. 2517=15/m³ ← Rs.					6,85,420=-
				c.o. Rs. 9,93,600=-	

Continuation

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	of area
			B. F. Rs. 9,93,600:-		
Add 12% GST + H.I.C.			Rs. 1,29,168:-		
			Rs. 11,22,768:-		
Less 0.25% below			(-) Rs. 2,807:-		
(as per aggrn.)			Rs. 11,19,961:-		
(signature) 28.05.2022 J.E.			(signature) 04/06/2022 A.E.		
		(signature) 11/6/2022 EE			
material consumption					
i) Elue - 1785.0 m³					
ii)					

(signature) 11/6/2022
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोगरी

Scanned with CamScanner

MMGSY / REVISED / FDR

Permanent Restoration

1. A. Vide Letter No - BRRDA (HQ) - MMGSY - 124/18-1227 Patna दिनांक 6-11-2019

A.A. Amount for construction work & 5 year Maintenance cost ₹ 255.05 Lakh

Revised construction cost	₹ 2,32,16,982=00
Revised 5 year Maintenance cost	₹ 29,07,037=00
	₹ 2,61,24,019=00
Contractor Rate Quoted 0.25% below on BOQ Rate (–)	₹ 65 310=00
	₹ 2,60,58,709=00
Add Contingency @ 2.25% +	₹ 5,22,382=00
Total	₹ 2,65,81,091=00
Say	₹ 265.81 Lakh

% Increase from A.A. Amount 4.22%

Revised T.S. No. - III - 39(R)/22-23 Dt. 02-05-2022

Ref. S.E. Letter No ....321.... Dt. 02-04-2022

Revised Technically Sanctioned for Rs 2,65,81,000=00

(Rupees Two Crore Sixty five Lakh eighty one thousand) only

Technical Sanction does not mean sanction of rate. Instructions given in technical note should be followed strictly.

Chief Engineer-2

Rural Works Department

Patna

02/05/2022

मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक–
प्रेषक,

/पटना,दिनांक–

ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
मुख्य अभियंता–2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा।

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **गोगरी** के अधीन शीर्ष **MMGSY** योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ/पुल के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–**321** अनु0, दिनांक **02.04.2022** तथा विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4(मु0) विविध (कार्य)–23–66/2020–1311 पटना, दिनांक 08.05.2021, पत्रांक–4849 दिनांक–07.12.2021 एवं पत्रांक 4665, दिनांक 15.12 2020

महाशय,

05.22

उपर्युक्त विषयक विभागीय प्रासंगिक पत्रों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **गोगरी** के अधीन शीर्ष **MMGSY** योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ/पुल के पुनर्स्थापन कार्य हेतु **01 (एक)** अदद पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। **योजना का नाम, पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क'** के क्रमशः स्तम्भ–3, 5 से 6 एवं 7 में अंकित है।

14/05/22

2. **प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है**, जो कि पत्र के **परिशिष्ट** 'क' के स्तम्भ **05 से 06** में अंकित है।
3. निर्माण कार्य **MMGSY** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के अवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एव कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **सहरसा** ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
11. **मूल तकनीकी स्वीकृति प्रद्त प्राक्कलन इस पुनरीक्षित प्राक्कलन का भाग होगा।**
12. अधीक्षण अभियंता प्राक्कलन में प्रावधानित विभिन्न कार्यों से संबंधित मदों का परिमाण, दर एवं इकाई की अपने स्तर से जाँच कर लेंगे। **मूल एकरारनामा के दरों के आधार पर ही विभिन्न मदों के दर का निर्धारण सुनिश्चित किया जाय।** यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्य अभियंता को अविलंब सुचित करेंगे।
13. पत्र के साथ **प्रावैधिक टिप्पणी** की प्रति संलग्न है।

अनु0– **परिशिष्ट ''क''** एवं स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,
ह0/–
मुख्य अभियंता–2

ज्ञापांक– 1425 /पटना, दिनांक– 04.05.22

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **गोगरी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–2

F:\CE-2 Office\Office Work\All Scheme\TS\Revised TS\Revised TS.Docx

Scanned with CamScanner

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 03 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंगः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 से 06 के अनुसार।

विवरणी

1. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 07 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य MMGSY योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य

7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन एवं प्री–लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया एवं जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाँध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification Rural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62 की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरान्त ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में MMGSY की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

Scanned with CamScanner

17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य किसी भी तरह से **MMGSY** की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत ग्रामीण कार्य विभाग/**BRRDA**, बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।

18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।

19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।

20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

21. मिट्टी कार्य करानें के पूर्व आश्वस्त हो ले कि एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण–नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।

23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरान्त प्राप्त करेंगे।

24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरान्त निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण–पत्र देंगे।

27. प्राक्कलन में प्रयुक्त तकनीकी आँकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

28. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर न्यूनतम दर का प्रावधान अधीक्षण अभियंता, सुनिश्चित करेंगे।

29. अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से दर विश्लेषण की जॉच कर लेंगे। यदि त्रुटि हो, तो अपने स्तर से सुधार कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

(हस्ताक्षर)

मुख्य अभियंता–2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोगरी के अधीन शीर्ष MMGSY (SC) योजनान्तर्गत पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजना की सूचीः–

Sl No.	Name of Division	Name of Scheme	Administrative Approval			Revised T.S Cost (in lakh)
			Length (in k.m.)	Department Ref Lett. No. & Date	Total cost (in lakh)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gogari	Bari Paikant Santhoshi Mata to Paikant Paschimi Tola	3.200	1227/06.11.19	255.050	265.810

Chief Engineer-2
R.W.D, Patna

Scanned with CamScanner

Name of Road :- Bari Paikant Santoshi Mata To Paikant Paschimi Tola

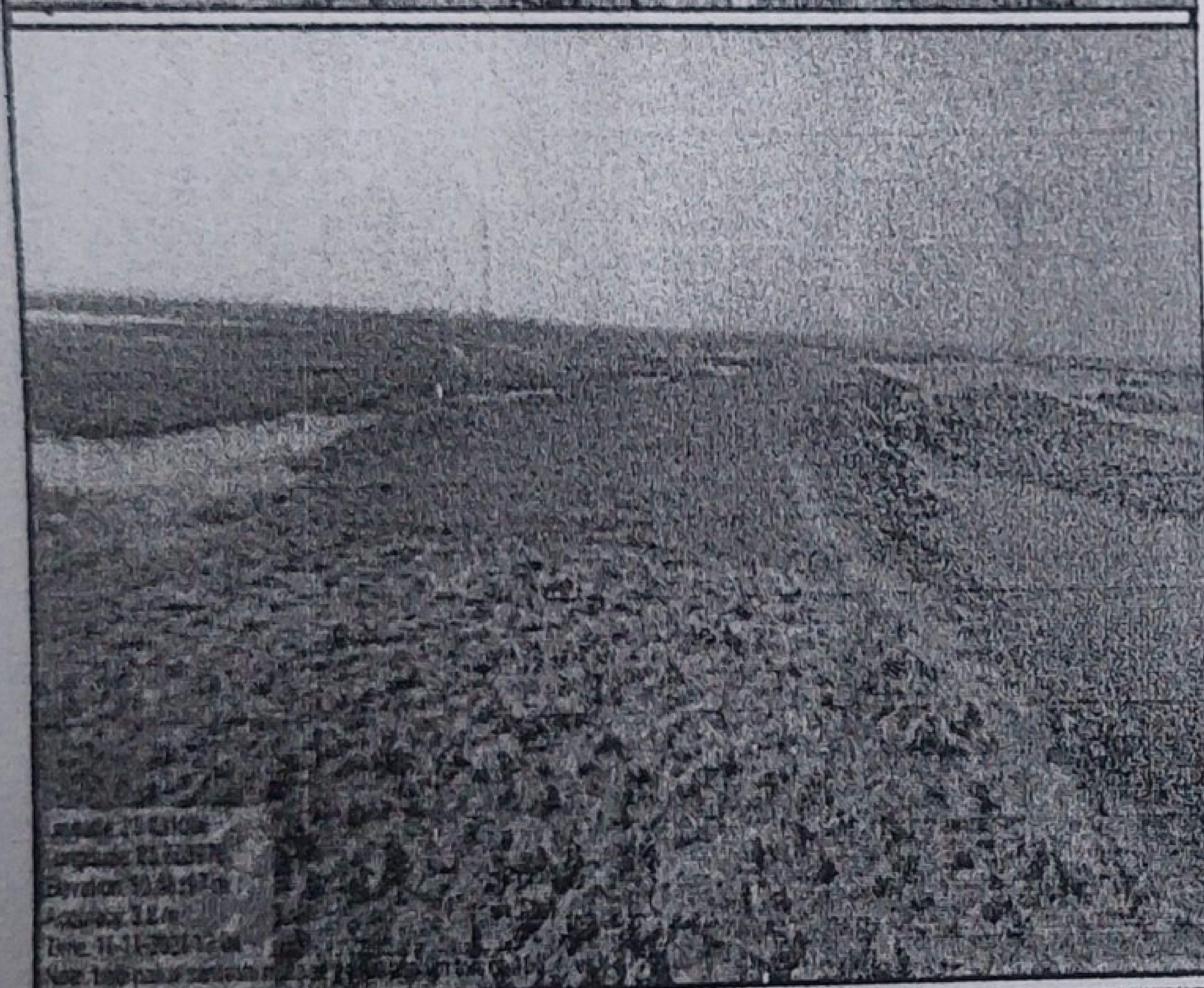

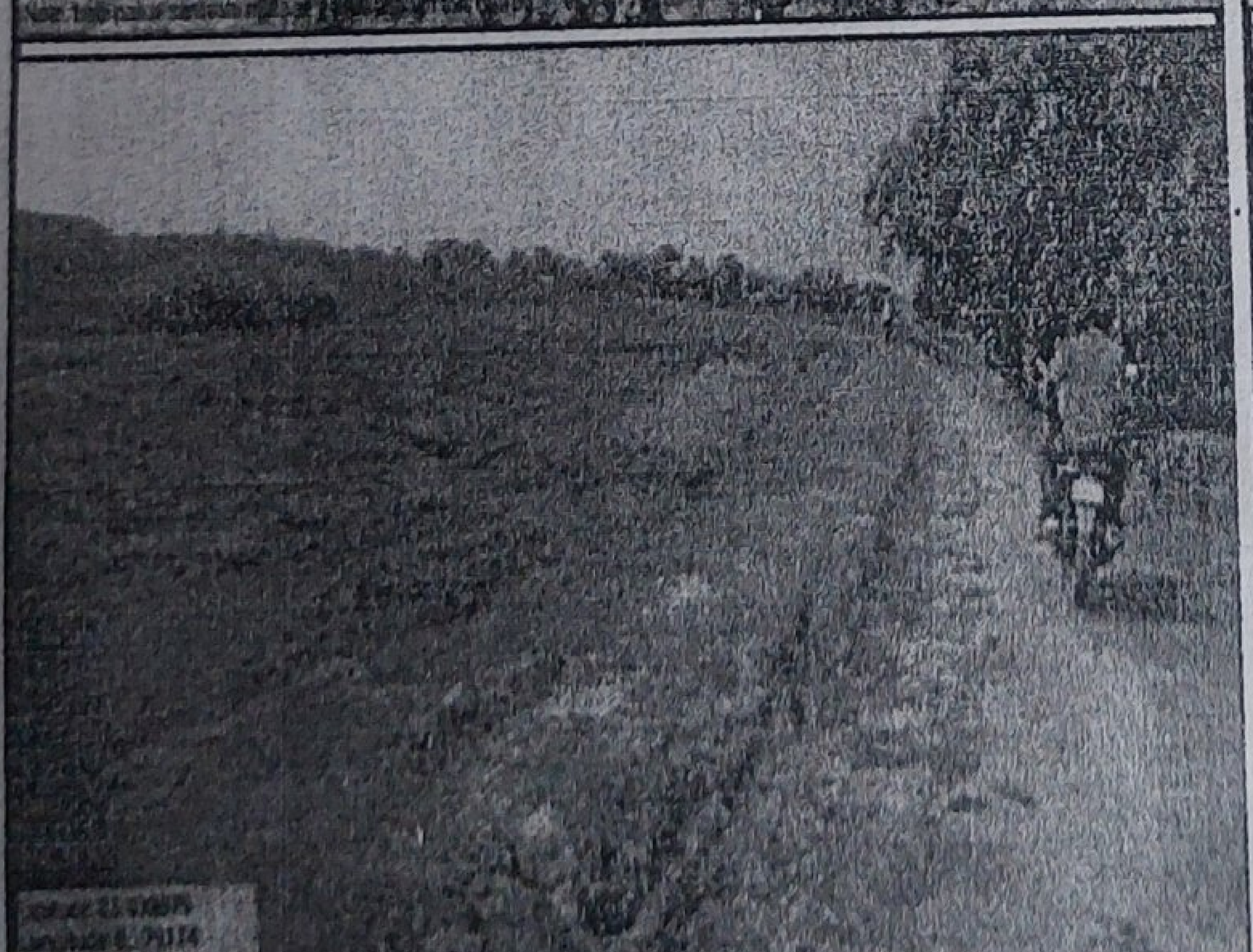

AKumar
30/11/2021
EE

Scanned with CamScanner

Name of Road :- Bari Paikant Santoshi Mata To Paikant Paschimi Tola

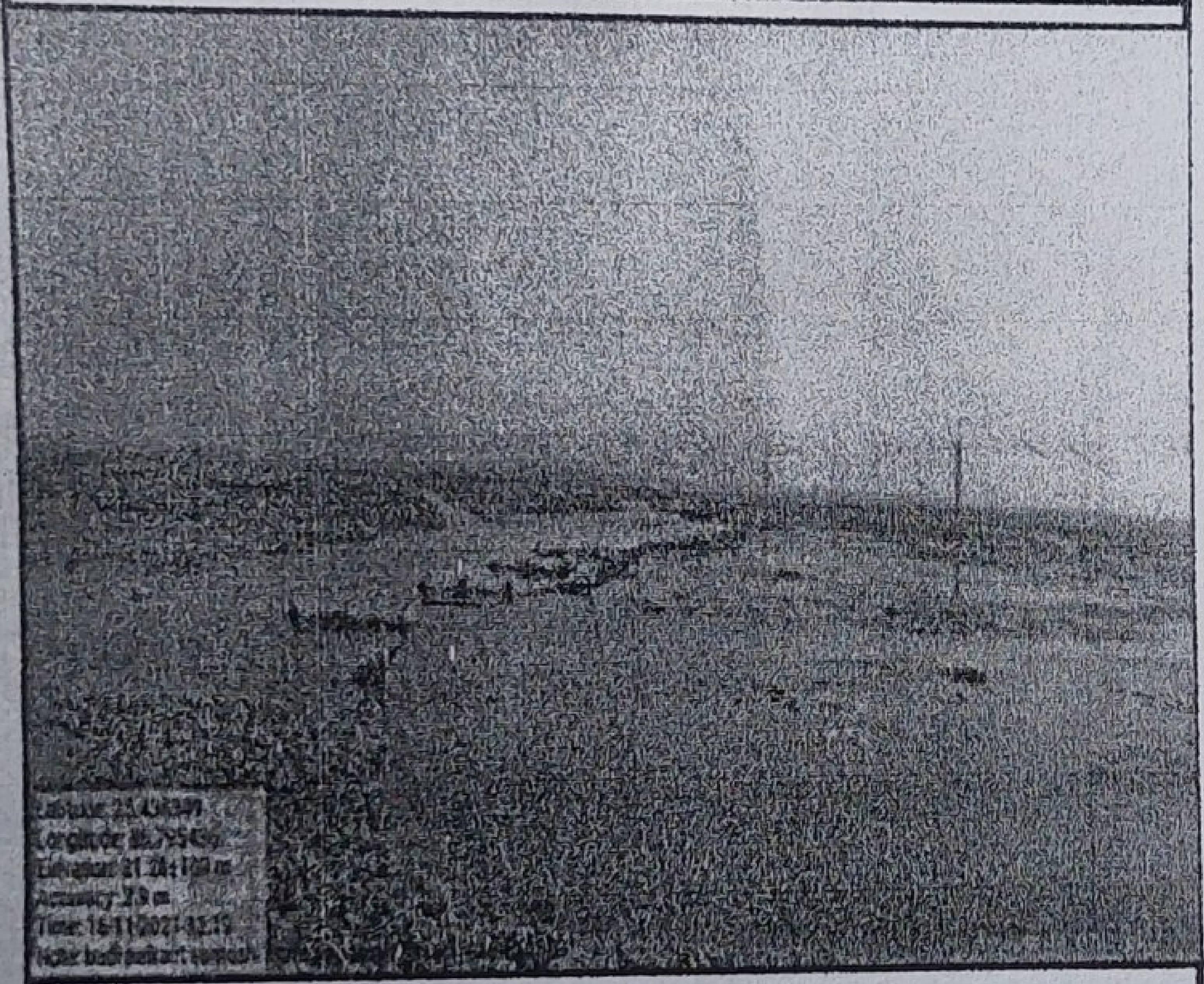

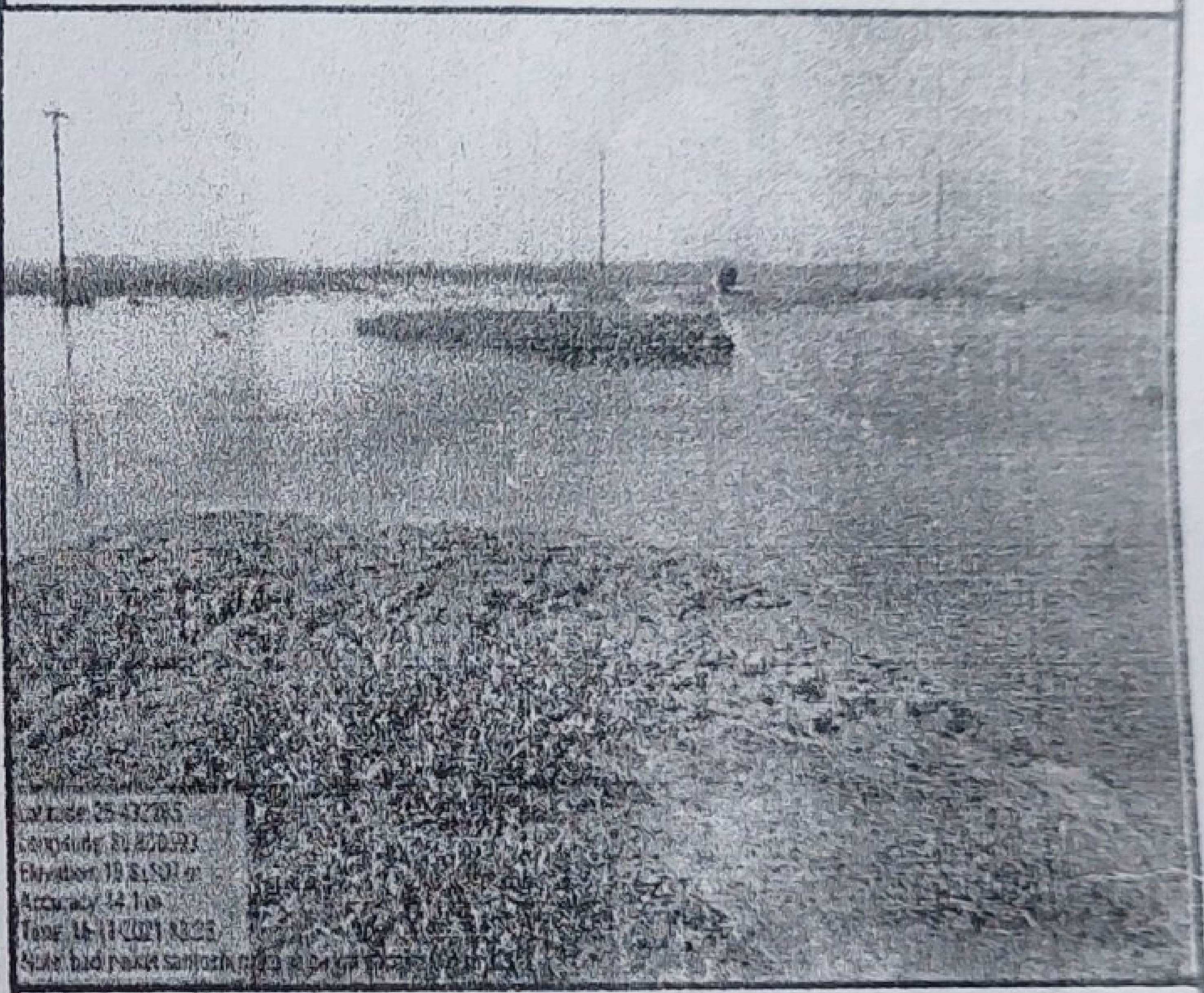

30/11/2021

EE

Scanned with CamScanner

Latitude 25.431129
Longitude 86.805445
Elevation 85.92±4 m
Accuracy 3.0 m
Time: 05-13-2022 11:45

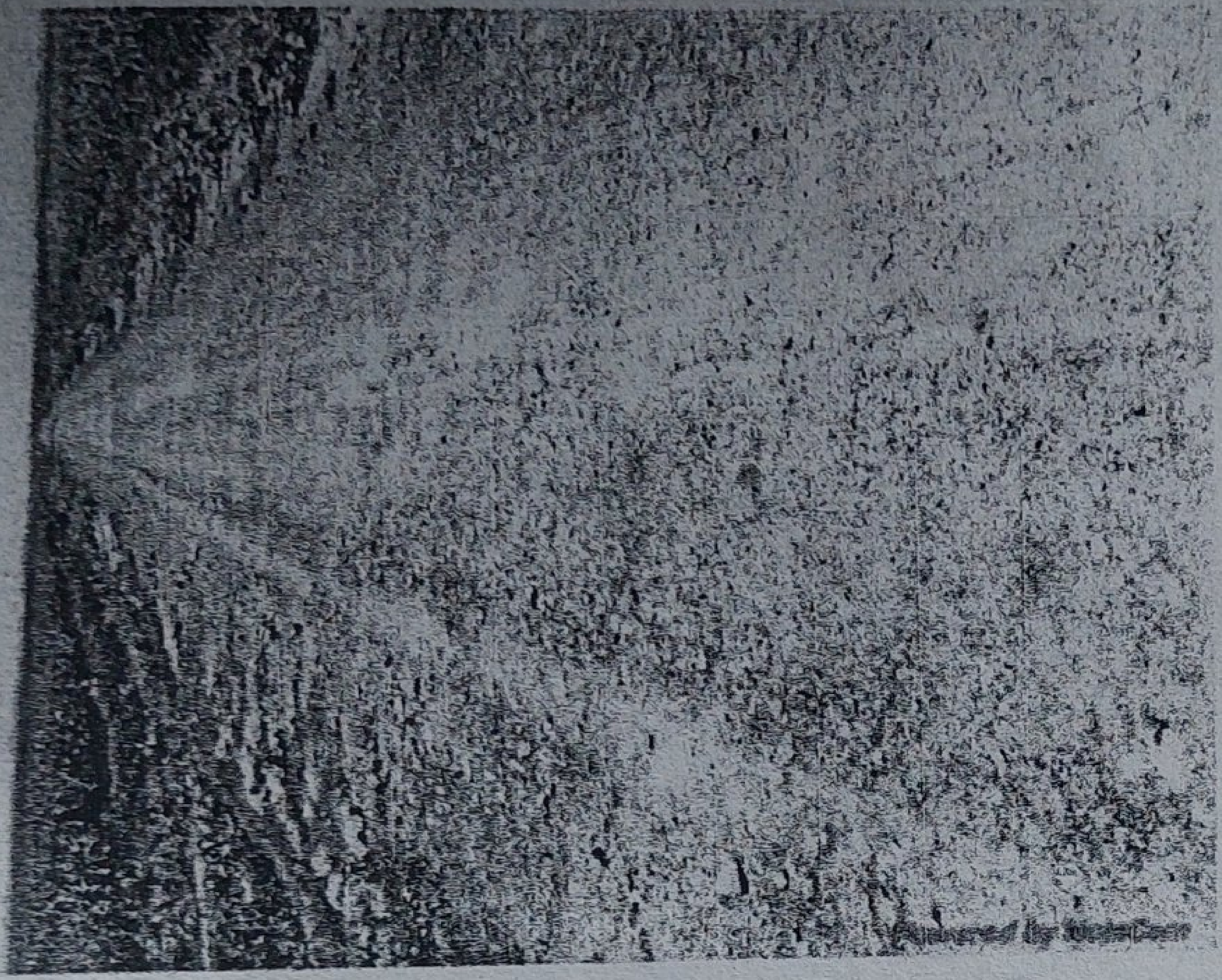

Latitude 25.430883
Longitude 86.809272
Elevation 85.21±68 m
Accuracy 7.9 m
Time: 05-13-2022 11:36

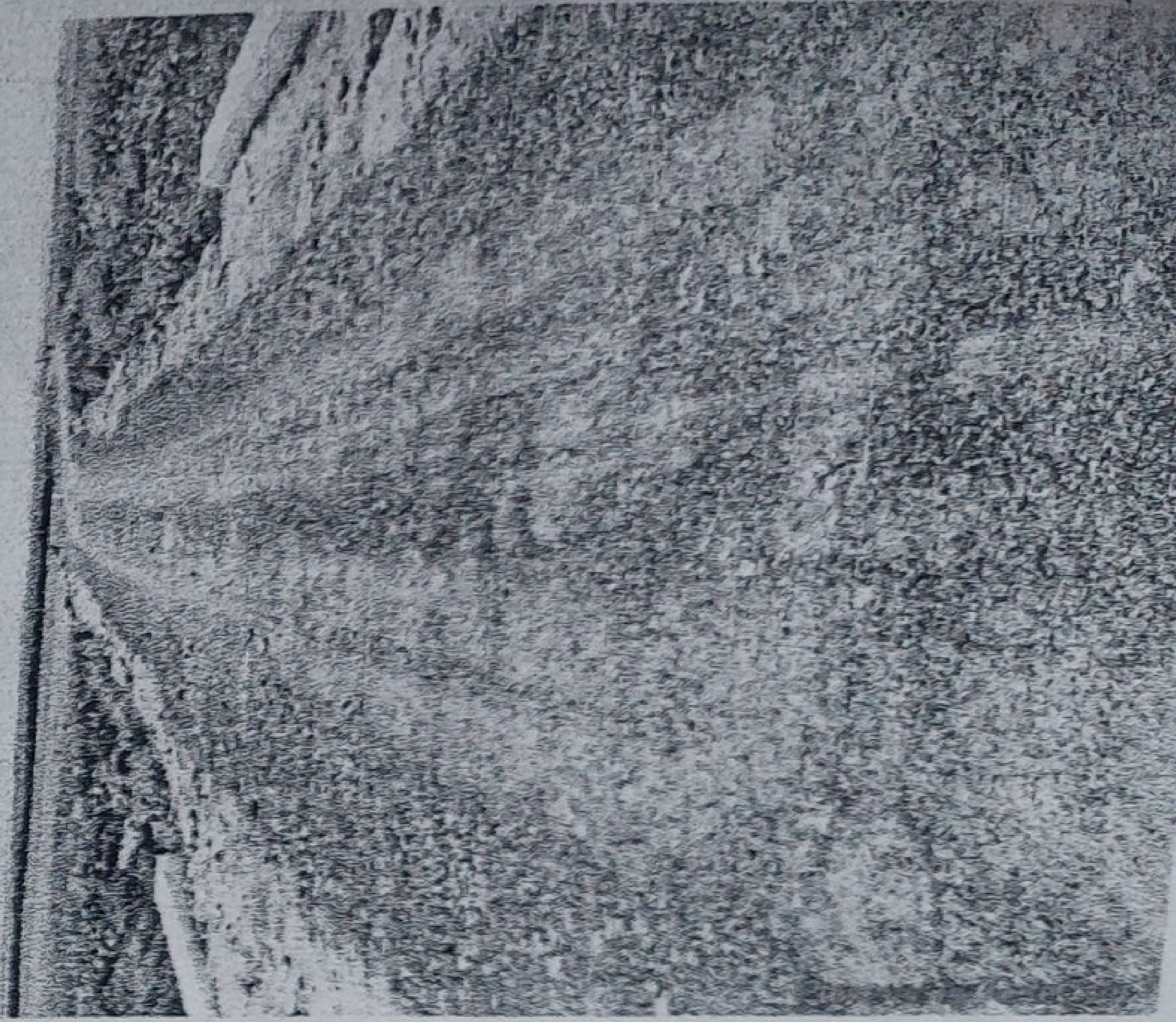

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोगरी

Longitude 86.805
Altitude 24.31±8 m
Accuracy 201.0 m
Time 05-13-2022 11:44

Latitude 25.405799
Longitude 86.811207
Accuracy 5400.0 m
Time: 05-13-2022 11:34

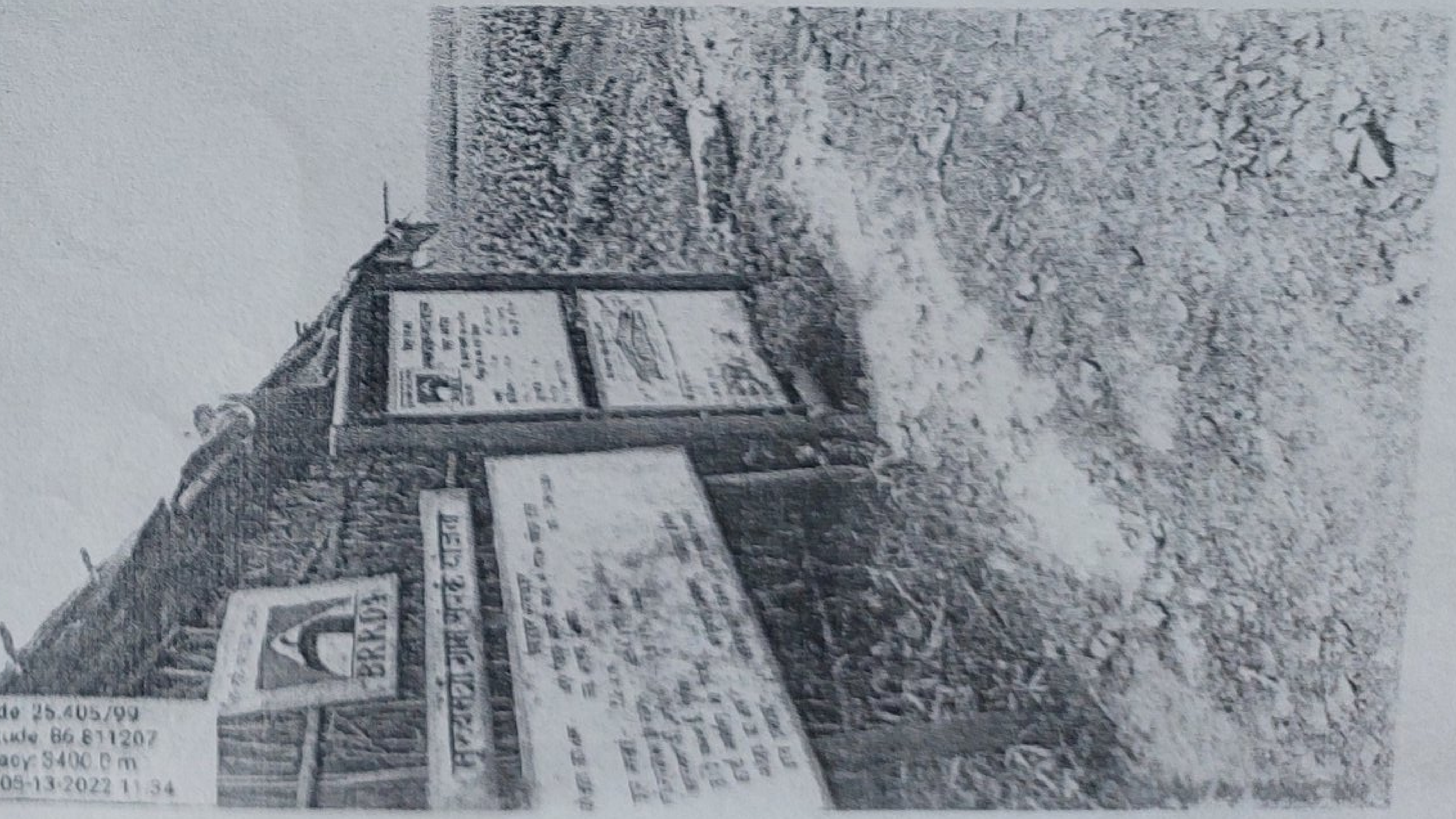

Scanned with CamScanner